



# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 05/08/प्रशा०/MSU/2024-25

दिनांक: १०.०८.२०२४

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव

समस्त सम्बद्ध शासकीय/अर्द्धशासकीय महाविद्यालय

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,

सहारनपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, के पत्र सं०-546/64-2-2024, दिनांक: 16.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को पुनः सूचित किया जाता है कि संचालित संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अन्तिम तिथि 20.08.2024 थी। अतः जिन महाविद्यालयों ने अब तक विश्वविद्यालय में अपना मास्टर डाटा जमा नहीं कराया है, वह दिनांक: 24.08.2024 तक अपना मास्टर डाटा विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप संलग्न-पत्र के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० राकेश चन्द्र)

नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि-अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलपति कार्यालय, मा० कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3. उपकुलसचिव माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति



मुभाष चन्द शर्मा

आई.ए.एस.

प्रमुख सचिव



संख्या: 546/64-2-2024  
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं  
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग  
कक्ष सं० 301, बापू भवन  
उत्तर प्रदेश सचिवालय  
लखनऊ-226001

कार्यालय : 0522-2238063/2214657

ई-मेल : secretarywhd@gmail.com,  
backwardwelfare12@gmail.com

दिनांक 16.8.24

Dr. Rakish Chandra

कुलपति 17/8

महोदय,

अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भाँति उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किए जाने की समय-सारिणी निर्गत की जा चुकी है (प्रति संलग्न)। तदनुसार शिक्षण संस्थाओं के मास्टर डाटाबेस तैयार किए जाने इत्यादि की कार्यवाही इस समय चल रही है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक/प्राचार्यों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित/सूचित करने का कष्ट करें, ताकि सभी पात्र छात्र/छात्राएं समय से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकें।

2- विगत वर्षों में कई बार संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय के नामित नोडल अधिकारी स्तर/सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के स्तर से छात्रों द्वारा आवेदन करने, विश्वविद्यालय द्वारा फीस एवं सीट सत्यापन किए जाने, शिक्षण संस्थाओं द्वारा मार्क्स इत्यादि तथ्यों का सत्यापन करते हुए अग्रसारण करने इत्यादि कार्यवाहियां करने में विलम्ब कर दिया जाता है, जिसके कारण कई बार पात्र छात्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अतः अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नामित नोडल अधिकारी को भी सतर्क करते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें, कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही/गतिविधियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

3- यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत समूह-1 में आने वाले पाठ्यक्रम (प्रति संलग्न) से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति आधार बेसड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के तहत किया जाना अनिवार्य है। अगले वित्तीय वर्ष से शेष समूह-2, 3 एवं 4 के पाठ्यक्रमों के लिए भी इसी प्रकार उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय कैम्पस, आपसे सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थाओं इत्यादि में श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा संचालित उक्त उपस्थिति प्रणाली को अपने वित्तीय संसाधनों से स्थापित करवाए जाने का कष्ट करें।




4- यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के आधार आधारित बैंक खाता के माध्यम से वितरित की जाती है। अतः सभी छात्र/छात्राओं के बैंक खाता का **केवाईसी** किया जाना अत्यावश्यक है। अतः अनुरोध है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्यों से अनुरोध कर लिया जाए कि वे प्राध्यापकों/कक्षाध्यापकों इत्यादि के माध्यम से छात्र/छात्राओं और उनके अभिभावकों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सभी आवश्यक प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं से भली-भाँति अवगत करा दें, ताकि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा वंचित न रह सके।

मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके सहयोग एवं सकारात्मक प्रयासों से सभी पात्र छात्र/छात्राओं को नियमानुसार अनुमन्य छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा से लाभान्वित किया जा सकेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

सादर,

भवदीय,

  
16/08/24  
(सुभाष चन्द शर्मा)


प्रो० हृदय शंकर सिंह,  
कुलपति,  
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,  
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद एवं न्याय विभाग, उ०प्र० शासन:- उक्त अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आप भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

  
(सुभाष चन्द शर्मा)

प्रेषक,

मंजय कुमार दुबे,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 12-07-2024

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-723/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 03 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 - उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर), (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है :-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही		
1	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना:- <ul style="list-style-type: none"><li>प्रदेश में संचालित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी के माध्यम से करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से संस्थान हेतु पासवर्ड प्राप्त करना। (शैक्षणिक संस्थान स्तर)</li><li>मास्टर डाटा में पूर्व सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार अनुमोदित सीटों की संख्या, सक्षम स्तर पाठ्यक्रमवार निर्धारित शुल्क, एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि अंकित/अपडेट कर नोडल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित कर लॉक किया जाना। (शैक्षणिक संस्थान/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)</li></ul>	15 जुलाई, 2024 से 20 अगस्त, 2024 तक।
2	विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा	16 जुलाई, 2024

	<p>फीस आदि का सत्यापन:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोजल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना।</li> </ul> <p>(शैक्षणिक संस्थान/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)</p>	से 30 अगस्त, 2024 तक।
3	<p>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापन:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश के अन्दर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। किसी पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क की भिन्नता की स्थिति में जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त मास्टर फीस पोर्टल पर लॉक की जायेगी।</li> </ul> <p>(पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर)</p> <p>नोट- शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगी।</p>	16 जुलाई, 2024 से 15 सितम्बर, 2024 तक।
4	<p>छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रिया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (11-12 को छोड़कर) आनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्डकॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा कराया जाना। (छात्र स्तर)</li> </ul>	20 जुलाई, 2024 से 20 नवम्बर, 2024 तक।
5	<p>शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>संस्था में अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, निर्धारित उपस्थिति मानक पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर)</li> <li>छात्र के आवेदन के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के विवरण को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनीफिशियरी का रिस्पॉस प्राप्त किया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	15 सितम्बर, 2024 से 24 नवम्बर, 2024 तक।
6	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना।	25 नवम्बर, 2024 तक।
7	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा सफ्टवेयर किया जाना:-	25 नवम्बर, 2024 तक।

	<ul style="list-style-type: none"> <li>पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से सत्यापनोपरान्त प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डाटा को विभाग द्वारा प्रदान कराये गये बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा को अलग किया जाना तथा शुद्ध डाटा को सत्यापन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	से 05 दिसम्बर, 2024 तक।
8	<p>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>संदेहास्पद आवेदनों में दृष्टिगत त्रुटियों को सुधारने हेतु छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा संदेहास्पद आवेदन की त्रुटियों को शुद्ध करते हुए पुनः शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन की हार्डकॉपी तथा सम्बन्धित अभिलेख जमा करते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से पुनः अग्रसारित कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0/छात्र स्तर/शिक्षण संस्थान स्तर)</li> <li>शिक्षण संस्था स्तर से छात्रों द्वारा संशोधित किये गये आवेदनों में से पात्र छात्रों का आवेदन पुनः सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संस्था स्तर से ही निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर)</li> </ul>	06 दिसम्बर, 2024 से 12 दिसम्बर, 2024 तक।
9	<p>राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पुनः सूकूटनी:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों द्वारा संदेहास्पद डाटा में से संशोधित किये गये आवेदनों को राज्य एन0आई0सी0 द्वार विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कर संदेहास्पद तथा शुद्ध डाटा के रूप में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	16 दिसम्बर, 2024 से 24 दिसम्बर, 2024 तक।
10	<p>जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरान्त डाटा लॉक कराया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा का परीक्षण करते हुए जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति स्तर)</li> </ul>	06 दिसम्बर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 तक।
11	<p>राज्य एन0आई0सी0 स्तर से मांग सृजन किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जनपद स्तरीय समिति तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर से सत्यापित तथा लॉक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निदेशालय की लॉगिन/पोर्टल पर मांग उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	15 जनवरी, 2025 तक।
12	<p>निदेशालय स्तर से घनराशि का अन्तरण:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नर से लॉक डाटा के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम</li> </ul>	20 जनवरी, 2025 तक।

से छात्र/छात्राओं के आधार सीटें/ एनओसीआईआई से सैट्स  
बैक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना। (निदेशालय स्तर)

3- नियमावली में सम्मिलित हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयवधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1- शिक्षण संस्था में अध्ययनरत छात्र, अपने छात्रवृत्ति आवेदन का नवीनीकरण तभी करेंगे जब उनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर प्रणाली होने पर दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश पूर्ण कर लिया हो तथा शिक्षण संस्था केवल उन्हीं आवेदनों को अग्रसारित कर सकेगी, जिसमें छात्र तथा संस्था द्वारा अंकित प्राप्तांक/पूर्णांक में समानता होगी।

2- यदि निर्धारित समयान्तर्गत परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, तो छात्र रिजल्ट नॉट एट डिस्पोजर (परीक्षाफल घोषित नहीं) का विकल्प चुनते हुए आवेदन कर सकेंगे लेकिन ऐसे समस्त आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित रहेंगे, उन्हें शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित केवल उक्त परिस्थिति में जबकि सम्बन्धित पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त छात्र द्वारा अपने वार्षिक प्राप्तांक एवं पूर्णांक का अंकन कर समस्त अभिलेख शिक्षण संस्था स्तर पर उपलब्ध करा देगा।

3- शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही शिक्षण संस्थाएं अपने यहां अध्ययनरत तथा आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन आनलाइन अग्रसारित कर सकेंगे।

4- ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन जो किसी भी त्रुटि के कारण (प्राप्तांक, पूर्णांक या अन्य तथ्य के त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण) से शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित हैं, उन्हें छात्र द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से रिसेट कराते हुए निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन की त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा।

5- निर्गत समय-सारिणी अनुसार निर्धारित किये गये दायित्वों तथा की जाने वाली कार्यवाही को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र/शिक्षण संस्था/एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय का होगा।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
Signed by

(Srijay Kumar Dubey)

08/08/2024 19:08:58

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।